भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1937
06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना

1937. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षा के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अंतर्गत वर्ष-वार कितने नमूनों का विश्लेषण किया गया;
(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने नमूने एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं;
(ग) सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी खाद्य गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यशील हैं;
(घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बीच खाद्य सुरक्षा के लिए संपन्न हुए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;
(ङ) आन्ध्र प्रदेश में राज्य खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कितनी निधि स्वीकृत की गई हैं और किन-किन स्थानों को चिह्नित किया गया है; और
(च) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में उपभोक्ताओं, खाद्य उद्योग और किसानों के बीच खाद्य सुरक्षा पहलुओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के प्रवर्तन के दौरान विश्लेषण किए गए नमूनों और अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं.	वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या
1	2020-21	107829	28347
2	2021-22	144345	32934
3	2022-23	177511	44626
4	2023-24	170513	33808

(ग): देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ) और (ङ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और आंध्र प्रदेश के बीच 2022-23 में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे आगे बढ़ाकर 2023-24 और उसके बाद 2024-25 तक कर दिया गया। एमओयू के उद्देश्य हैं:

(i) प्रवर्तन और अनुपालन प्रणाली को मजबूत बनाना
(ii) खाद्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना
(iii) ईट राइट अभियान के तहत विभिन्न पहलों का कार्यान्वयन
(iv) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के परिणामस्वरूप कोई अन्य मामला

आंध्र प्रदेश में राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए पहचाने गए स्थान गुंटूर, तिरुपति, विशाखापत्तनम, कुरनूल, तिरुमाला, एलुरु और ओंगोल हैं। वित्त वर्ष 23-24 में राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए जारी की गई कुल धनराशि 53.22 करोड़ रुपये है।

(च): एफएसएसएआई ने उपभोक्ताओं, खाद्य उद्योग और नागरिकों के बीच खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई पहलों को लागू किया है। ये पहल इस प्रकार हैं:

i. जन जागरूकता अभियान जैसे, आज से थोड़ा कम जिसमें आहार में नमक, चीनी और वसा को कम करने को प्रोत्साहित किया जाता है, और ट्रांस-फैट फ्री इंडिया@75 पहल जिसका उद्देश्य ट्रांस वसा को खत्म करना है, सहायक रहे हैं।
ii. सोशल मीडिया अभियान जैसे कि मंडे मोटिवेशन, रेसिपी रविवार, नो योर फूड लेबल्स, मिलावट के प्रति जागरूकता और मिथ बस्टर्स सीरीज उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य प्रथाओं के बारे में शिक्षित करती है और उन्हें सुविज्ञ विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाती है।
iii. डार्ट बुक जैसे संसाधन घर पर खाद्य मिलावट का पता लगाने के लिए सरल परीक्षण प्रदान करते हैं।
iv. खाद्य सुरक्षा ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) या मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने तथा खाद्य परीक्षण करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए तैनात की जाती हैं।
v. खाद्य उद्योग के लिए, एफएसएसएआई का खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक) कार्यक्रम खाद्य व्यवसाय परिसरों में प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा और मानकों पर उन व्यक्तियों के लिए हैं जो खाद्य व्यवसाय से जुड़े हैं या जुड़ने का इरादा रखते हैं, चाहे वे खाद्य व्यवसाय संचालक हों या कर्मचारी हों या अन्यथा।
vi. प्रमाणन कार्यक्रम जैसे कि ईट राइट कैंपस, ईट राइट स्कूल, ईट राइट स्ट्रीट फूड हब, ईट राइट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, पूजा स्थलों के लिए ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप और हाइजीन रेटिंग स्कीम बेहतर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति स्वयं अनुपालन को प्रोत्साहित करते हैं।
vii. जैविक खाद्य प्रमाणन के लिए जैविक भारत जैसे संपोषणीयता संबंधी प्रयास और आरयूसीओ (रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल) पहल, जिसमें इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल को पुनरूद्देशित किया जाता है, खाद्य उद्योग के भीतर सुरक्षित और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाता है।
viii. जन जागरूकता अभियान खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ खानपान की प्रथाओं को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों की आधारशिला रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में 122 शहरों में वॉकाथोन

और मेले आयोजित किए गए जिनके आयोजन में सुरक्षित और संपोषणीय खाद्य प्रथाओं के महत्त्व को समझने और समझाने के लिए समुदायों की सहभागिता रही।

ix. ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज, ईट राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट जैसी प्रतियोगिताओं में देश के प्रत्येक जिले से भागीदारी देखने को मिली, जिससे नागरिकों में खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ी और ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज के माध्यम से नागरिकों और स्थानीय निकायों को स्वस्थ खानपान और खाद्य सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

x. इसके अलावा, एफएसएसएआई ने अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष अभियान के हिस्से के रूप में श्रीअन्न जैसे पोषक अनाज को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। ईट राइट मिलेट मेला जैसे आयोजन उपभोक्ताओं को इन अनाजों के पोषण और आर्थिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें इनसे जोड़ने में मदद करते हैं।

xi. सरकार ने खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ आहार और संपोषणीयता के बारे में महत्वपूर्ण संदेशों को प्रसारित करने के लिए कई तरह के मंचों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। दूरदर्शन के डीडी न्यूज, डीडी किसान, ऑल इंडिया रेडियो जैसे सार्वजनिक संचार माध्यमों और आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित खाद्य सुरक्षा संबंधी बैनर के साथ-साथ सोशल मीडिया चैनलों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। इसके अलावा, एफएम रेडियो चैनलों और रेलवे स्टेशनों पर समर्पित अभियान चलाए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये महत्वपूर्ण संदेश देश भर में व्यापक तौर पर और विविध दर्शकों तक पहुँचें।

*****

अनुलग्नक

एफएसएसएआई द्वारा धारा 43 (1), एफएसएसए 2006 के तहत अधिसूचित प्राथमिक प्रयोगशालाओं की संख्या							एफएसएसए 2006 की धारा 43 (2) के तहत एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित रेफरल प्रयोगशालाओं की संख्या
क्रम सं.	राज्य	राज्य सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएँ	एफएसएसएआई स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएँ	एफएसएसएआई के स्वामित्व में और पीपीपी (सरकारी निजी भागीदारी) मोड पर संचालित	सरकारी संस्थानों के स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएँ (एफएसएसएआई के अलावा)	निजी स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएँ	रेफरल प्रयोगशालाएं (सभी सरकारी स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएं)
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	1	4	1
2	अंडमान और निकोरबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	1	0	0	1	0	0
5	बिहार	1	1	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	1	0	0	0	0	0
8	दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	1	0
9	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1	0	0	1	17	0
10	गोवा	1	0	0	0	1	0
11	गुजरात	6	0	0	3	10	1
12	हरियाणा	2	0	0	1	15	2
13	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0
14	जम्मू एवं कश्मीर	2	0	0	0	0	0
15	झारखंड	1	0	0	0	1	0
16	कर्नाटक	3	0	0	0	17	2
17	केरल	3	0	0	6	6	2
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1	0	0	0	8	0
21	महाराष्ट्र	5	0	1	1	25	4
22	मणिपुर	1	0	0	0	0	0
23	मेघालय	1	0	0	0	0	0

24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	1	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	1	0	0	0	1	0
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	1	0	0	1	2	1
29	राजस्थान	10	0	0	1	6	0
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	6	0	1	1	17	3
32	तेलंगाना	1	0	0	1	9	3
33	त्रिपुरा	1	0	0	1	0	0
34	उत्तर प्रदेश	6	0	1	3	5	2
35	उत्तराखंड	1	0	0	0	1	0
36	पश्चिम बंगाल	2	1	0	3	4	1
कुल		61	2	3	25	151	22
		242					

*****